

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या : 160/2022

तारीख दायर : 11/5/2022

अनवान

1. गोपाल धाकड़ पुत्र देबीलाल धाकड़ जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मीखेड़ा (देवरी की नूण) तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. मनोहर धाकड़ पुत्र देबीलाल धाकड़ जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मीखेड़ा (देवरी की नूण) तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

..... प्रार्थीगण

बनाम

01. शम्भुलाल पुत्र नन्द किशोर जाति धाबाई उम्र व्यसक निवासी खेराड़िया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. मनोहर पुत्र नन्द किशोर जाति धाबाई उम्र व्यसक निवासी खेराड़िया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
03. भोजीराम पुत्र हीरा धाकड़ जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मीखेड़ा (देवरी की नूण) तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

..... विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0ले0रे0एक्ट

- : आदेश : -

दिनांक 11/5/2022

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण गोपाल धाकड़ पुत्र देबीलाल धाकड़ जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मीखेड़ा (देवरी की नूण) तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0) वगैरे ने जरिये अभिभाषक श्री परवेज आलम प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम लक्ष्मीखेड़ा पटवार हल्का लक्ष्मीखेड़ा तहसील बिजौलियां में आराजी खसरा नं0 36 रकबा 0.2023, आराजी खसरा नं0 40 रकबा 0.2995, आराजी खसरा नं0 40 रकबा 0.2995 आराजी खसरा नं0 41 रकबा 0.5342, आराजी खसरा नं0 46 रकबा 0.1700, आराजी खसरा नं0 47 रकबा 0.1295, आराजी खसरा नं0 614/88 रकबा 0.1781, आराजी खसरा नं0 617/49 रकबा 0.1619, आराजी खसरा नं0 62 रकबा 0.2914, आराजी खसरा नं0 621/68 रकबा 0.6880, आराजी खसरा नं0 623/68 रकबा 0.0971, आराजी खसरा नं0 65 रकबा 0.6961 कुला किता 11 रकबा 3.4481 हैक्टेयर भूमि स्थित है। विपक्षीगण आये दिन सीमाओं को लेकर विवाद करते रहते हैं। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे। साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथ पत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।


पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2074- 2077 के अवलोकन से प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार/गैर खातेदार काश्तकार है। पडोसीयान के विवाद करने बाबत् शपथ पत्र संलग्न है पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरित प्रभाव नहीं पडता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया जाकर ग्राम लक्ष्मीखेड़ा पटवार हल्का लक्ष्मीखेड़ा तहसील बिजौलियां में आराजी खसरा नं0 36 रकबा 0.2023, आराजी खसरा नं0 40 रकबा 0.2995, आराजी खसरा नं0 40 रकबा 0.2995 आराजी खसरा नं0 41 रकबा 0.5342, आराजी खसरा नं0 46 रकबा 0.1700, आराजी खसरा नं0 47 रकबा 0.1295, आराजी खसरा नं0 614/88 रकबा 0.1781, आराजी खसरा नं0 617/49 रकबा 0.1619, आराजी खसरा नं0 62 रकबा 0.2914, आराजी खसरा नं0 621/68 रकबा 0.6880, आराजी खसरा नं0 623/68 रकबा 0.0971, आराजी खसरा नं0 65 रकबा 0.6961 कुला किता 11 रकबा 3.4481 हैक्टेयर भूमि की बशामलात सभी काश्तकारान एवं पडोसीयान को सूचित करते हुए पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100/- रुपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावे। भू0अ0नि0 बिजौलियां को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। फीस 500/- रुपये वक्त पत्थर गढी प्रार्थी मौके पर अदा करेगा।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हों।

आदेश सुनाया गया।



  
(सीमा तिवाड़ी)  
उपखण्ड अधिकारी  
बिजौलियां जिला भीलवाड़ा